न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
24 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.03.2021	06.07.2022

डा0 मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राजमल रमेशचन्द सदर बाजार देवली जिला–टोंक निवासी वार्ड नम्बर 12 तेली मोहल्ला देवली जिला–टोंक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)की उप धारा(v)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उपस्थित।
2–अप्रार्थी श्री मनोज कुमार जैन उपस्थित।

दिनांक 06.07.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.12.2020 को समय 1:50 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राजमल रमेशचन्द सदर बाजार देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहॉ श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मनोज कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स राजमल रमेशचन्द सदर बाजार देवली जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल,घी ब्रान्डेड मसाले अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दुकान में स्टील की एक केन में लगभग 7–8 किलोग्राम **मूगफली तैल खुला (खुला)** रखा हुआ था, जिसे देखने पर मिलावट की शंका होने पर श्री मनोज कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री मनोज कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मूगफली तेल खुला(Contravene)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किए जा रहे हैं, कुल 1 किलो 600 ग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1777

आवेदक ने खरीदशुदा **मूगफली तेल खुला(Contravene)** 1 किलो 600 ग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे कांच की शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक में 400–400 ग्राम भरकर प्रत्येक कांच की शिशियों को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–2735 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता श्री मनोज कुमार जैन तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई–2130 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येंक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 2021 / 176 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 2463 / एक्ट / 2020 / 2342 दिनांक 31–12–2020 के अनुसार विकय हेतु कय किया गय **मूगफली तेल खुला (Contravene)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के रेगुलेशन (विकय प्रतिषेध एवं निर्बधन) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का **मूगफली तेल खुला(Contravene)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा 2 (v) एवं 31(1) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा एवं दण्डनीय धारा 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वय उपस्थित हुए एंव बहस कर अपना जुर्म स्वीकार किया गया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मूगफली तेल खुला(Contravene)** का विकय कर रहे थे वह जांच में स्तर **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मूगफली तेल खुला(Contravene)** नमूना जांच में **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

होने से अप्रार्थी श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स राजमल रमेशचन्द सदर बाजार देवली जिला–टोंक निवासी वार्ड नम्बर 12 तेली मोहल्ला देवली जिला–टोंक राज0 पर शास्ति रूपये 25,000 (अक्षरे पच्चीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धाकड़)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0